रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022022-233056
CG-DL-E-01022022-233056

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 404] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2022/माघ 12, 1943
No. 404] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2022/MAGHA 12, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2022

सं. 53 /2015–2020

विषयः– स्क्रिप आधारित विदेश व्यापार नीति की स्कीमों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाना।

का.आ. 419(अ.).—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 3.13(क) में संशोधन करती है (जैसा कि अधिसूचना संख्या 26 दिनांक 16 सितम्बर 2021 द्वारा अधिसूचित और अधिसूचना संख्या 48 दिनांक 31.12.2021 द्वारा संशोधित है)। पैरा 3.13(क) अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

3.13 (क) स्क्रिप आधारित स्कीमों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि

क. स्क्रिप आधारित दावों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के संबंध में प्रक्रिया पुस्तिका 2015–20 में मौजूदा निर्धारित प्रावधानों के अधिक्रमण में निम्नलिखित स्कीमों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को संशोधित कर **28 फरवरी, 2022** कर दिया गया है अर्थातः –

i. एमईआईएस के लिए (01.07.2018 से 31.03.2019, 01.04.2019 से 31.03.2020 और 01.04.2020 से 31.12.2020 की अवधि में किए गए निर्यातों के लिए)

ii. एसईआईएस के लिए (वित्त वर्ष 2018–2019 और वित्त वर्ष 2019–20 में किए गए सेवा निर्यातों के लिए)

iii. 2% अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन के लिए (एफटीपी के पैरा 3.25 के तहत – केवल 01.01.2020 से 31.03.2020 की अवधि में किए गए निर्यातों के लिए)

iv. आरओएससीटीएल के लिए (07.03.2019 से 31.12.2020 तक किए गए निर्यातों के लिए) और

v. आरओएसएल के लिए (06.03.2019 तक किए गए निर्यातों के लिए जिसके लिए स्क्रिप तंत्र के अधीन अब तक दावों का संवितरण नहीं किया गया है)

28.02.2022 के पश्चात्, किसी और आवेदन को जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और वे कालातीत हो जाएंगे। बाद की तारीख में दावे प्रस्तुत करने के लिए विलंब कटौती के प्रावधान भी उपलब्ध नहीं होंगे।

ख. एचबीपी के पैरा 9.02 में यथा लागू विलंब कटौती पर निर्धारित प्रावधानों के अधिक्रमण में ऊपर बताए गए अनुसार, **28.02.2022** तक जमा किए गए आवेदनों के लिए नई विलंब कटौती इस प्रकार होगीः

क्र.सं.	स्कीम	निर्यातों की अवधि (अवधि में अनुमत निर्यात की तारीख)/अवधि में दी गई सेवाएं	विलंब कटौती (स्कीम के तहत पात्रता के % के रूप में)
1	एमईआईएस	वित्तीय वर्ष 2018–19 (01.07.2018 से 31.03.2019)	10%
2	एमईआईएस	वित्तीय वर्ष 2019–20 और वित्तीय वर्ष 2020–21 (31. 12.2020 तक)	शून्य
3	एसईआईएस	वित्तीय वर्ष 2018–19	5%
4	एसईआईएस	वित्तीय वर्ष 2019–2020	शून्य
5	आरओएससीटीएल	07.03.2019 से 31.12.2020	शून्य
6	आरओएसएल	06.03.2019 तक	शून्य

2. **इस अधिसूचना का प्रभावः** एमईआईएस, एसईआईएस, आरओएससीटीएल, आरओएसएल और 2% अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन (एफटीपी के पैरा 3.25 के अधीन) के अधीन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जिसे पहले 31.01.2022 को अधिसूचित किया गया था उसे अब बढ़ाकर 28.02.2022 कर दिया गया है।

[फा. सं. 01/61/180/288/एएम20/पीसी–3 (पार्ट 1)]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2022

No. 53/2015-2020

Subject: Extension of Last Date for Submitting applications for Scrip based FTP Schemes

S.O. 419(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby amends the para 3.13A of the FTP 2015-20 (as notified vide Notification no. 26 dated 16th September, 2021 and amended vide Notification No. 48 dated 31.12.2021) with immediate effect. The para 3.13A shall now read as below:

3.13A: Last Date of Submitting Applications for Scrip based Schemes

a. In supersession of the existing laid down provisions in the Hand Book of Procedures, 2015-20 with regard to last date for submitting online applications for scrip based claims, the last date for submitting online applications stands revised to **28th February 2022** for the following schemes i.e.:—

i. for MEIS (for exports made in the period (s) 01.07.2018 to 31.03.2019, 01.04.2019 to 31.03.2020 and 01.04.2020 to 31.12.2020),

ii. for SEIS (for service exports rendered for FY 18-19 and FY 2019-20),

iii. for 2 % additional ad hoc incentive (under para 3.25 of the FTP – for exports made in the period 01.01.2020 to 31.03.2020 only)

iv. for ROSCTL (for exports made from 07.03.2019 to 31.12.2020) and

v. for ROSL (for exports made upto 06.03.2019 for which claims have not yet been disbursed under scrip mechanism).

After **28.02.2022**, no further applications would be allowed to be submitted and they would become time-barred. Late cut provisions shall also not be available for submitting claims at a later date.

b. In supersession of the laid down provisions on applicable late cut as in para 9.02 of the HBP, the new late cut for applications submitted up to **28.02.2022** as indicated above shall be:

Sl. No.	Scheme	Period of Exports (Let Export Date in the period)/Services rendered in the period	Late Cut (as % age of Entitlement under the Scheme)
1	MEIS	FY 2018-19 (01.07.2018 to 31.03.2019)	10%
2	MEIS	FY 2019-20 and FY 2020-21 (upto 31.12.2020)	Nil
3	SEIS	FY 2018-19	5 %
4	SEIS	FY 2019-20	Nil
5	ROSCTL	07.03.2019 to 31.12.2020	Nil
6	ROSL	Upto 06.03.2019	Nil

Effect of this Notification : The last date of submitting applications under MEIS, SEIS, ROSCTL, ROSL and 2% additional ad hoc incentive (under para 3.25 of FTP) which was earlier notified to be 31.01.2022 has been extended to 28.02.2022.

[F. No. 01/61/180/288/AM20/ PC-3 (Part 1)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.01 23:52:29 +05'30'